ता. पे. 31.7.18

1

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेथा

बनाम

अप्रार्थी :– श्री केसरसिंह राजपूत निवासी कालेथा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 37 / 2018

निर्णय दिनांक 31. 7. 2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेथा ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत 2075 में सरहद कालेथा के खसरा नम्बर 409 मी. किस्म गै.मु. रास्ता मे रकबा 0.0017 है./बीघा भूमि में मकान का बाड़ा लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी .... से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री स्वयं ने दिनाक 4.7.2018 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को मौजा कालेथा के खसरा नम्बर 409 किस्म गै. रास्ता में रकबा 0.0017 हैक्ट. की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत: अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 12 – रूपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0017 हैक्ट. भूमि के 0.0204 रूपये लगान का 50 गुणा 1 – ..../– अक्षरे एक रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को माग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा